न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म०प्र०

<u>दांडिक प्रकरण क-88/2016</u> संस्थित दिनांक-16.03.2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा	
आरक्षी केन्द्र चंदेरी	
जिला अशोकनगर।	अभियोजन

विरुद्ध

निरन्जन पुत्र भैंरो सिंह भील उम्र 28 साल निवासी ग्राम रामनगर तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0**अभियुक्त**

—: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 16.05.2018 को घोषित)</u>

- 01— अभियुक्त के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 279, 337, 338 के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक 29.02.2016 को समय 14:30 बजे ईदगाह के पास बायपास रोड चंदेरी में लोकमार्ग पर वाहन जायलो गाडी क्रमांक M.P. 67 T. 0373 उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर उक्त गाडी से आहत अयान में टक्कर मारकर साधारण उपहित एवं आहत महक में टक्कर मारकर घोर उपहित कारित की।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 29.02.2016 को जिसान एवं फरीदा बानो अपने छोटे भाई इमरान खान की पत्नी शबाना बानो लड़की महक, जिसान का लड़का अयान खांन गोल टेकरी के उपर मजार पर चादर चढ़ाने के लिये जा रहे थे, फरीदा व शबाना पीछे रहने से उनके इंतजार रोड किनारे बाय—पास पर खड़े थे, कि दोपहर करीबन 02:30 बजे अशोकनगर की तरफ से एक जायलो गाडी सफेद रंग की नंबर M.P. 67 T. 0373 का चालक गाडी तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाता हुआ आया और महक और अयान में टक्कर मार दी, जिससे महक खानं के सिर में गंभीर चोट आई तथा अयान के दाहिने पैर के टकना पिड़ली व जांघ में चोट लगी, बाये जांघ में मुदी चोट लगी। जायलो गाडी को गाडी वाला जायलों को पिछोर रोड पर भगा ले गया। फरियादी जिसान की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध कमांक 118/2016 अंतर्गत धारा—279, 337,338 भा0द0वि0 के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेत् न्यायालय में प्रस्तूत किया गया।
- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि प्रकरण के विचारण के दौरान दिनांक 09.05.2018 को फरियादी जिसान के द्वारा अपनी नाबलिग पुत्र अयान एवं इमरान ने अपनी नाबलिग पुत्री महक के ओर से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित शमनीय धाराओं का शमन करने बाबत्

आवेदन अंतर्गत धारा 320 (4) एवं अन्य आवेदन 320 (2) एवं 320 (8) द0प्र0स0 का प्रस्तृत किया गया था उक्त आवेदनों को स्वीकार करते हुये अभियुक्त को भा.द.वि. की धाराँ 337, 338 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। .अभियुक्त पर आरोपित भा0द0वि० की धारा 279 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्त पर विचारण किया गया।

- 04—अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा–313 द०प्र०सं० में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झुटा फंसाया गया है।
- 05- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - क्या अभियुक्त ने दिनांक 29.02.2016 को समय 14:30 बजे ईदगाह के पास बायपास रोड चंदेरी में लोकमार्ग पर वाहन जायलो गाडी कमाक M.P. 67 T. 0373 उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
 - दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

विचारणीय प्रश्न कमाक 01 व 02 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 06-फरियादी जिसान (अ0सा0-01) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि दो वर्ष पूर्व दोहपर के समय वह गोल टेकरी मजार पर अपने परिवार और अपने भाई के परिवार के साथ जा रहा था, उसके साथ अयान खान, मुस्कान खांन रिहान खान, इमरान खान उसकी पत्नी शबाना बानों व स्वयं उसकी पत्नी फरीदा बानों भी थी। जिसान (अ०सा0-01) के अनुसार जब वह लोग रोड के किनारे खडे थे, तभी अचानक से एक चार पहियां वाहन से उसके लडके अयान व महक को टक्कर लग गई थी, जिससे उन्हें चोटें आई थीं। अयान व महक को चोटें गंभीर होने से उन्हें ईलाज के लिये पहले चंदेरी अस्पताल ले गये बाद में ललितपुर व झांसी ले गये थें।
- 07-जिसान (अ0सा0-01) का कहना है कि उसने पुलिस थाना चंदेरी में घटना के संबंध में प्रदर्श पी 01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार कियें है। फरियादी जिसान अ०सा–० ०1 दिये गये उपरोक्त कथनों को बचावपक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण न कर कोई चुनौती नही दी गई है जिससे जिसान (अ०सा0-01) के उपरोक्त कथन उनके प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डित रहे है।

- 08—जिसान (अ0सा0—01) के द्वारा दिये गये उपरोक्त अखिण्डित कथन प्रकरण मतें दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 व पुलिस को दिये गये कथन प्रदर्श पी 03 से भी मैल खाते है, जिससे जिसान (अ0सा0—01) के इन कथनों की पुष्टि प्रदर्श पी 01 की रिपोर्ट व पुलिस कथन प्रदर्श पी 03 से भी होती है कि वह घटना दिनांक को दोपहर के समय आहत अयान व महक सिहत अपने व अपने भाई के परिवार के साथ जब गोल टेकरी मजार पर जा रहा था, जो किसी चार पहियां वाहन ने अयान व महक को टक्कर मार दी थी. जिसमें अयान व महक को चोटें आई थी।
- 09—आहत अयान खांन (अ0सा0—03) ने भी अपने न्यायालीन कथनों फरियादी जिसान (अ0सा0—01) के कथनों का समर्थन करते हुये यह बताया है कि दो साल पहले वह अपने परिवार के साथ जब गोल टेकरी मजार पर चादर चढाने जा रहा था तो एक चार पिट्टिया वाहन ने उसके व महक को टक्कर मार दी थी, तथा टक्कर लगने से उसके पैर में चोट लगी थी व महक के सिर में चोट लगी थी तथा इस घटना के बाद उनके पिरवार के लोग उन्हें चदेरी पर झांसी अस्पताल इलाज के लिये ले गये थे। आहत अयान खांन (अ0सा0—03) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन विरोधाभास मुक्त है तथा इस साक्षी के भी उपरोक्त कथनों को प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती बचाव पक्ष की ओर से नहीं मिली है।
- 10—फरियादी जिसान (अ0सा0—01) व आहत अयान अ0सा0—3 के द्वारा दिये गये उपरोक्त अखिण्डित कथन जो कि अभियोजन घटना के समर्थन में है, पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है तथा इन साक्षियों के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों से यह प्रमाणिता होता है कि इन साक्षियों के कथन के दो वर्ष पूर्व दोपहर के समय जब वह गोल टेकरी मजार पर जा रहे थे, तो किसी चार पिहया वाहन ने अयान (अ0सा0—03) व महक को टक्कर मारकर उन्हें उपहित कारित की थी।
- 11— यह उल्लेखनीय है कि जिसान (अ०सा0—01) व आहत अयान (अ०सा0—03) ने अपने न्यायालीन कथनों में यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है कि जिस चार पिहयां वाहन ने टक्कर मारी थी, उक्त वाहन कौन सा था तथा उसका नंबर क्या था, उसे कौन चला रहा था, वह कैसे चल रहा था। फिरयादी जिसान (अ०सा0—01) जिसके द्वारा प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गईं जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं कहना है कि घटना कारित करने वाला वाहन अज्ञात था तथा उसने घटना के समय वाहन के चालक को भी नहीं देखा।
- 12— नदीम उर रहमान ((अ०सा०—०२)) अभियोजन कहानी के अनुसार घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, का अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन के विरुद्ध यह कहना है कि उसे दुष्ट विना की जानकारी फोन पर प्राप्त हुई थी जिसके बाद वह अस्पताल चंदेरी पहुंचा था और उसने महक और अयान को घायल अवस्था में देखा था तथा दोनों आहतों को चोट गंभीर होने के कारण उनके परिवार के लोग ललितपुर और झांसी ले गये थे। इस साक्षी

का कहना है कि घटना किस प्रकार हुई किस वाहन से हुई इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है।

- 13— अतः नदीम उर रहमान (अ०सा०—०२) के अनुसार घटना उसके सामने नही हुई और न ही वह मौके पर था। इसी प्रकार सलीम (अ०सा०—०६) अपने न्यायालीन कथनो में घटना स्थल पर अपनी उपस्थिति तो दर्शाता है, परन्तु इस साक्षी का भी मात्र यह कहना है कि वह ईदगाह के पास जब 02—02:30 बजे आम के पेड के नीचे खडा था तो घायल अवस्था में इमरान की लडकी को रोड पर देखा था तथा उसके आस—पास परिवार के लोग इकट्ठा थे। इस साक्षी का भी अभियोजन के विरुद्ध यह कहना है कि उसने नहीं देखा कि वह घायल किस कारण हुई थी तथा न ही उसे लोगों ने घटना के बारे में बताया था। अतः इन साक्षियों के द्वारा भी अपने न्यायालीन कथनो में घटना कारित करने वाले वाहन एवं चालक के संबंध में अभियोजन के समर्थन में कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये है।
- 14— घटना में दोनों आहत अयान की मां फरीदा (अ०सा०—०४) व महक की मां शबाना (अ०सा०—०5) के कथन भी अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में न्यायालय में कराये गये है। फरियादी जिसान (अ०सा०—०1) के अनुसार एवं अभियोजन कहानी के अनुसार यह दोनों ही साक्षी घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे जो कि घटना के समय मौके पर अपने बच्चों के साथ थे तथा इन दोनों साक्षियों के सामने से घटना घटित हुई थी। फरीदा (अ०सा०—०४) व शबाना (अ०सा०—०५) ने अपने न्यायालीन कथनों में इस बात की पुष्टि तो की है कि अयान व महक का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उन्हें चोट आई थीं, परन्तु इन दोनों ही साक्षियों का अपने कथनों में यह कहना है कि उन्हें जानकारी नही है कि एक्सीडेंट किस वाहन से हुआ, व किसने किया, क्योंकि वह मौके पर नही थी।
- 15— अतः फरीदा (अ०सा0—04) व शवाना (अ०सा0—05) भी अपने न्यायालीन कथनों में अयान व महक का एक्सीडेंट में घायल होने की पुष्टि तो करती है, परन्तु अभियोजन घटना के विपरीत इन दोनों ही साक्षियों का यह कहना है कि घटना के समय वह मौके पर नही थी तथा घर पर थी, तथा उन्हें जानकारी नही है कि किस वाहन से व किस व्यक्ति ने घटना कारित की थी। फरियादी जिसान अ०सा.0—01 सहित किसी भी अभियोजन साक्षी ने अभियोजन का इस बात पर लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है कि वास्तव में जिस चार पिहया वाहन को अयान और महक को एक्सीडेंट हुआ था, उक्त वाहन कौन सा था, उसका नंबर क्या था, वह कैसे चल रहा था तथा उसे कौन चला रहा था। अभियोजन का समर्थन न करने के कारण फरियादी जिसान (अ०सा0—01) सहित नदीम (अ०सा0—02), फरीदा (अ०सा0—04), शबाना (अ०सा0—05) व सलीम (अ०सा0—06) को अभियोजन के द्वारा उपरोक्त संबंध में पक्षविरोधी कर उनका विस्तृत परीक्षण किया गया, परन्तु उक्त किये गये परीक्षण में फरियादी सिहत किसी भी साक्षी ने अभियोजन का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया।

- 16— फरियादी जिसान (अ०सा0—01) का अभियोजन के विरुद्ध यह स्पष्ट कहना है कि उसने टक्कर मारने वाले वाहन को नहीं देखा था, और न ही उसके बारे में पुलिस को दिये गये कथन व पुलिस रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 में कुछ भी लेख कराया था। इस साक्षी ने इस बात का स्पष्ट खण्डन किया है कि टक्कर मारने वाला वाहन M.P. 67 T. 0373 था। इसी प्रकार नदीम उर रहमान (अ०सा0—02), फरीदा (अ०सा0—04) शबाना अ०सा0—5 व सलीम (अ०सा0—06) ने भी अपने कथनों में इस बात से इन्कार किया है कि घटना कारित करने वाला वाहन जायलों गांडी कमांक M.P. 67 T. 0373 थी तथा उसका चालक गांडी को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया था और महक और अयान में टक्कर मारी थी तथा यह साक्षी इस संबंध में पुलिस को भी कथन देने से इनकार करता है।
- 17— अतः ऐसे में फरियादी जिसान (अ०सा0—01) सहित नदीम उर रहमान (अ०सा0—02), फरीदा (अ०सा0—04) शबाना अ०सा0—5 व सलीम (अ०सा0—06) की साक्ष्य से अभियोजन यह तो साबित कर सका है कि घटना दिनांक को किसी चार पहिया वाहन से अयान व महक को टक्कर लगने से वह घायल हुये थे, परन्तु फरियादी सहित नदीम उर रहमान (अ०सा0—02), फरीदा (अ०सा0—04) शबाना अ०सा0—5 व सलीम (अ०सा0—06) के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण अभियुक्त के विरुद्ध अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
- 18— फरियादी जिसान (अ०सा0—01) व अयान (अ०सा0—03) को छोडकर शेष सभी साक्षियों ने अपने सामने कोई घटना घटित न होना बताया है तथा घटना कारित करने वाले वाहन के संबंध जानकारी होने से ही इन्कार किया है एवं इस संबंध में पुलिस को भी कोई कथन न देना बताया है। वहीं जिसान (अ०सा0—01) व अयान (अ०सा0—03) किसी चार पिहया वाहन से एक्सीडेंट होने की तो पुष्टि करते है, परन्तु इन दोनों ही साक्षियों का अपने कथनों में कहीं भी कहना नही है कि वास्तव में एक्सीडेंट कारित करने वाला चार पिहया वाहन जायलों गाडी कमांक M.P. 67 T. 0373 ही था तथा उसे अभियुक्त ने ही उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर घटना कारित की।
- 19— परिणाम स्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह साबित नहीं कर सका है कि अभियुक्त निरंजन ने दिनांक 29.02.2016 को समय 14:30 बजे ईदगाह के पास बायपास रोड चंदेरी में लोकमार्ग पर वाहन जायलों गांडी कमांक M.P. 67 T. 0373 उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलांकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।
- 20—फलतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त निरन्जन पुत्र भैंरो सिंह भील को भा0द0वि0 की धारा 279 के आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्त निरन्जन पुत्र भैंरो सिंह भील को भा0द0वि0 की धारा 279 तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त होषित किया जाता है।

21— अभियुक्त धारा 428 द0प्र0सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्त के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगीनामा वाद मियाद अपील भारमुक्त समक्षा जावेगा, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)